/

राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग

20/198, कावेर पथ, एल. के. सैनी, स्टेडियम, सेक्टर–2, मानसरोवर, जयपुर।
फोन नं. 0141–2399335, 2399336 ई–मेल आई.डी. ccosjerajasthan@gmail.com

क्रमांक एफ 32(02)(03) बाअवि/भिक्षावृत्ति कमेटी/67741 जयपुर, दिनांकः 27/3/17

विषयः–राज्य में बाल भिक्षावृत्ति की प्रभावी रोकथाम हेतु मानक संचालन प्रकिया।

राज्य के जिला मुख्यालयों एवं छोटे कस्बों/तहसील मुख्यालयों पर ट्रैफिक चौराहों, सडक, धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों, सार्वजनिक स्थानों इत्यादि काफी संख्या में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे स्वयं या अपने परिवार के साथ भीख मांगने का कार्य करते है। बाल भिक्षावृत्ति में स्थानीय बच्चों के अतिरिक्त अन्य राज्यों/जिलों के बच्चे भी सम्मिलित है। भिक्षावृत्ति में संलग्न अधिकांश बच्चे नशे में संलिप्त पाए गए हैं। बाल भिक्षावृत्ति के लिए बच्चों की तस्करी किए जाने के मामले भी सामने आये हैं। ट्रैफिक सिग्नलों पर भिक्षावृत्ति के कारण बच्चों के साथ दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं अधिक रहती हैं।

देखने में आया है कि राज्य में कुछ जाति समुदाय विशेष जैसेकि नट, कंजर, रंगास्वामी, मदारी समुदाय के बच्चे अपने परिवार के साथ भीख मांगने का कार्य करते है एवं इन परिवारों की आर्थिक स्थिति दयनीय होती हैं। भिक्षावृत्ति में लिप्त परिवारों द्वारा विभिन्न माध्यमों से नवजात शिशुओं एवं बच्चों के जरिये भीख मांगने का कार्य किया जा रहा है, जो कि बच्चों के हित में न होने के साथ–साथ जोखिमपूर्ण एवं उनके विकास में बाधक भी हैं। बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम हेतु भिक्षावृत्ति में लिप्त परिवारों का समग्र पुनर्वास अत्यन्त आवश्यक हैं।

राज्य सरकार द्वारा भिक्षावृत्ति में लिप्त निर्धन, दरिद्र एवं असहाय व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु **"राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास अधिनियम, 2012"** लागू किया गया हैं। अधिनियम के तहत् निर्धन, दरिद्र एवं असहाय व्यक्तियों एवं उनके परिवारों की पहचान उपरान्त उनके पुनर्वास हेतु पुनर्वास गृहों के माध्यम से भरण–पोषण, उपचार, शिक्षा एवं प्रशिक्षण इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के प्रावधान किये गये है। अधिनियम के अंतर्गत 18 वर्ष के कम उम्र के व्यक्ति को बच्चा माना गया गया है।

राज्य में 18 वर्ष के कम उम्र के बच्चों की देखरेख, संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु विशेष अधिनियम के रूप में लागू किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 कियान्वित किया जा रहा है। इस अधिनियम की धारा 27 के तहत् देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए उनकी देखरेख, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास की व्यवस्था करने के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त न्यायपीठ के रूप में बाल कल्याण समिति का गठन किया गया है। अधिनियम के अंतर्गत बच्चों की देखरेख एवं पुनर्वास के लिए विभिन्न स्तर पर "समेकित बाल संरक्षण योजना" के माध्यम से संस्थागत

एवं गैर संस्थागत देखभाल सुविधाओं का संचालन किया जा रहा हैं। राज्य सरकार द्वारा बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण हेतु कियान्वित की जा रही समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत् प्रमुख घटक के रूप में राज्य स्तर पर राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी एवं प्रत्येक जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यरत हैं।

राज्य सरकार द्वारा विगत वर्षों में जिला प्रशासन एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से भिक्षावृत्ति की रोकथाम हेतु सघन जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन किया गया हैं, जिसके तहत् परिवारों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के अतिरिक्त भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को चिन्हित कर बाल संरक्षण व्यवस्था से जोड़ा गया हैं। बाल भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों/अभिभावकों के विरूद्ध विभिन्न अधिनियमों की प्रासंगिक धाराओं के तहत् कानूनी कार्यवाही भी की गई है।

बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम हेतु कानूनी प्रावधान –

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016–

अधिनियम की धारा 2 (8) के अनुसार ''भीख मांगना'' से अभिप्राय निम्नानुसार हैः–

- किसी लोक स्थान पर भिक्षा की याचना करना या उसे प्राप्त करना अथवा भिक्षा की याचना करने या उसे प्राप्त करने के प्रयोजन हेतु के लिए किसी भी बहाने से किसी प्राईवेट परिसर में प्रवेश करना।
- भिक्षा प्राप्त करने या उसे हासिल करने के उद्देश्य से अपना या किसी अन्य व्यक्ति या किसी जीवजंतु का कोई व्रण, घाव, क्षति, अंग विकार या रोग को दर्शाना या प्रदर्शित करना।

अधिनियम की धारा 2 (14) (II) के अनुसार देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चेः–

- तत्समय प्रवृत श्रम विधियों के उल्लंघन में कार्यरत बच्चे या भिक्षावृति में लिप्त बच्चे या सड़क पर रहने वाले बच्चे (स्ट्रीट चिल्ड्रन) को देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है।

अधिनियम की धारा 76 के अनुसार भीख मांगने के लिए बच्चों का नियोजनः–

- अधिनियम की धारा 76 (1) के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो भीख मंगवाने के लिए किसी बच्चे को नियोजित करता है या उसका उपयोग करता है या उससे भीख मंगवायेगा, तो उसे अधिकतम 5 वर्ष तक की सजा तथा 1.00 लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा।

- परन्तु भीख मंगवाने के प्रयोजन के लिए बच्चे के शरीर के किसी अंग को विछिन्न करता है या उसे विकलांग बनाता है, तो उसे न्यूनतम 7 वर्ष की सजा जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता हैं तथा 5.00 लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा।
- अधिनियम की धारा 76 (2) के अनुसार बच्चे का वास्तविक प्रभार अथवा नियंत्रण करने वाला कोई भी व्यक्ति भीख मंगवाने के लिए बच्चे को नियोजित करता है या उसका उपयोग करता है या उससे भीख मंगवाने का दुष्प्रेरण करता है, तो उसे अधिकतम 5 वर्ष तक की सजा तथा 1.00 लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा तथा ऐसे व्यक्ति को अधिनियम की धारा 2 (14) (v) के तहत् अयोग्य माना जायेगा।

परन्तु ऐसे बच्चे को किसी भी परिस्थिति में विधि उल्लंघन करने वाला नहीं माना जायेगा और उसे ऐसे संरक्षक या अभिरक्षक के भारसाधन या नियंत्रण से हटा लिया जायेगा तथा समुचित पुनर्वास के लिए बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जायेगा।

अधिनियम की धारा 85 के अनुसार निःशक्त बच्चे पर अपराधः—

- यदि अधिनियम की धारा 76 में वर्णित अपराध यदि किसी ऐसे निःशक्त बच्चे पर किया गया है, जिसे चिकित्सक द्वारा निःशक्त बच्चा प्रमाणित किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को अपराध के लिए निर्धारित सजा की दोगुना (double) सजा से दण्डित किया जायेगा।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के नियम 93 के अनुसार अधिनियम एवं नियमों का गैर अनुपालनः—

- नियम 93 के अनुसार कोई अधिकारी/संस्था एवं सांविधिक निकाय आदि, जो इस अधिनियम, और इसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो राज्य सरकार उपयुक्त जांच के पश्चात ऐसे अधिकारी/संस्था एवं सांविधिक निकाय आदि के विरूद्ध कार्यवाही करेगी और साथ–साथ अधिनियम के प्रभावी कियान्वयन के लिए उक्त अधिकारी/संस्था एवं सांविधिक निकाय के कार्य करने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करेगी।

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के तहत् भिक्षावृत्ति/शारीरिक शोषण हेतु प्रमुख प्रावधानः—

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 363क के तहत् भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए अवयस्क का व्यपहरण या विकलांगीकरण तथा धारा 370 के तहत् अवयस्क का शारीरिक शोषण के कोई कृत्य के लिए दुर्व्यापार गंभीर अपराध के रूप में वर्णित किया गया है।

उक्त परिपेक्ष्य में बाल भिक्षावृत्ति की प्रभावी रोकथाम एवं भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों की देखरेख, संरक्षण एवं पुर्नवास हेतु राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक 11143 दिनांक 05–02–2013 द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) का अधिक्रमण करते हुए सभी सम्बन्धित घटकों के लिये निम्नानुसार नवीन मानक संचालन प्रकिया (एस.ओ.पी.) जारी की जाती है:–

जिला बाल सरंक्षण इकाई –

- जोखिमपूर्ण स्थितियों में निवास कर रहे परिवारों और देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करना।
- बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम के लिए जिले में बाल संरक्षण एवं बाल अधिकारों के मुद्दे पर सक्रिय रूप से कार्यरत गैर सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी संस्थाओं की सूची तैयार करना।
- सक्रिय एवं इच्छुक गैर सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी संस्थाओं को अधिकृत एवं उनमें कार्यक्षेत्रों का आवंटन करते हुये सतत् अभियान संचालित करना। अभियान संचालन में आवश्यकतानुसार अन्य संस्थाओं का भी सहयोग लिया जा सकेगा।
- भिक्षावृत्ति में लिप्त पाये गये बच्चों को बाल कल्याण समिति के आदेश से तत्काल पंजीकृत बाल देखरेख संस्थानों में प्रवेश कराकर संस्थानों के माध्यम ऐसे बालकों की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति कराना।
- भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों के मामलों में बाल कल्याण समिति के आदेशों की समयबद्ध पालना सुनिश्चित करना।
- बच्चे, जिनका कोई परिवार नहीं हो/सड़क पर रहने वाले बच्चों को बाल कल्याण समिति के माध्यम से संस्थागत एवं गैर संस्थागत देखभाल कार्यक्रमों से जोड़ना।
- भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को आवश्यकतानुसार नशा मुक्ति केन्द्रों से जोड़ना।
- भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को आवश्यकतानुसार स्पोंसरशिप/फोस्टर केयर के माध्यम से लाभान्वित कराना।
- त्रैमासिक स्तर पर सभी सम्बन्धित गैर सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी संस्थाओं एवं विभागों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित कर आगामी रणनीति तैयार करना। त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी को प्रेषित करना।

अधिकृत गैर सरकारी संगठन/स्वयंसेवी संस्था –

- संस्था के प्रतिनिधि/कार्यकर्ताओं द्वारा उनको आवंटित कार्यक्षेत्र में विभिन्न ट्रैफिक चौराहों, सडक, धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भिक्षावृत्ति की रोकथाम हेतु जन–जागरूकता करना तथा जन सामान्य को भीख देने से रोकना।

- जन–जागरूकता के दौरान भिक्षावृत्ति में लिप्त परिवारों की पहचान कर समझाईश करना।
- जन–जागरूकता के दौरान चिन्हित भिक्षावृत्ति में लिप्त परिवारों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए उन्हें योजनाओं से जोड़ना।
- भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों के अतिरिक्त ऐसे बच्चे, जिनका कोई परिवार नहीं हो/सड़क पर रहने वाले बच्चे को 24 घण्टे के भीतर बाल कल्याण समिति के सामने प्रस्तुत करना। इस प्रयोजन हेतु किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 में निर्धारित फॉर्म 17 में बच्चों का आवश्यक विवरण भी समिति को प्रस्तुत किया जाना।
- बाल कल्याण समिति के आदेश से बच्चे को उचित पुर्नवास हेतु निर्धारित निश्चित स्थान पर पहुंचाना।
- मासिक आधार पर प्रगति रिपोर्ट जिला बाल संरक्षण इकाई को प्रेषित करना।

बाल कल्याण समिति –

- भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चे की सूचना/शिकायत मिलने पर प्रसंज्ञान लेते हुए संबंधित एजेंसियों यथा चाइल्ड लाईन (1098) या स्थानीय पुलिस या विशेष किशोर पुलिस इकाई को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करना।
- विभिन्न माध्यमों से समिति के समक्ष प्रस्तुत बच्चे के प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए बच्चे की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
- बच्चे की सामाजिक पृष्टभूमि रिपोर्ट एवं व्यक्तिगत देखरेख योजना के आधार पर निर्धारित समयावधि में समुचित पुर्नवास हेतु आदेश पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण करना।
- बच्चे के अन्य जिले या राज्य के निवासी होने की स्थिति में सम्बन्धित जिले की जिला बाल संरक्षण इकाई/बाल कल्याण समिति से समन्वय स्थापित कर उनके पुनर्वास की कार्यवाही करना।
- बच्चे के पुनर्वास या उसके परिवार में पुनः मिलाने से पूर्व बच्चे एवं उसके परिवार की काउंसलिंग करवाना।
- भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/शिक्षा विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों से जोड़ना।
- किन्हीं उचित परिस्थितियों में अधिनियम की धारा 76 (2) का उपयोग करते हुए बच्चे के वास्तविक प्रभार अथवा नियंत्रण करने वाले व्यक्ति को बच्चे की देखरेख के लिए अयोग्य घोषित कर सकेगी।

- भीख मंगवाने के लिए बच्चे को नियोजित करने वाले व्यक्ति अथवा भीख मंगवाने का कार्य करवाने वाले व्यक्ति या इस प्रयोजन हेतु बच्चे का व्यपहरण/तस्करी करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध अधिनियम की धारा 76 एवं भा.द.स. की धारा 363क, 370 सहित अन्य प्रासंगिक अधिनियमों के अंतर्गत विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- ऐसे प्रकरणों में पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु बच्चे अथवा संबंधित एजेंसी यथा चाइल्ड लाइन, बाल देखरेख संस्थान/अधिकृत स्वयंसेवी संस्था को निर्देशित करना।
- भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चे के परिवारों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति दयनीय पाये जाने पर उनकी सूची तैयार कर जिला बाल संरक्षण इकाई/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/ जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना, ताकि उन्हें विभिन्न सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जा सके।
- यदि बच्चे का परिवार भिक्षावृत्ति में लिप्त है, तो उनका विवरण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को प्रेषित करना।

पुलिस विभाग –

- स्वयं के स्तर पर चिन्हित भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को सम्बन्धित बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना। इस प्रयोजन हेतु किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 में निर्धारित फॉर्म 17 में बच्चों का आवश्यक विवरण भी समिति को प्रस्तुत किया जाना। ऐसे प्रकरणों में समिति के आदेशानुसार अग्रिम कार्यवाही करना।
- भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को अपराधी न मानते हुए सम्मान एवं गरिमा के साथ व्यवहार करना।
- भीख मंगवाने के लिए बच्चे को नियोजित करने वाले व्यक्ति अथवा भीख मंगवाने का कार्य करवाने वाले व्यक्ति या इस प्रयोजन बच्चे का व्यपहरण/तस्करी करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध अधिनियम की धारा 76 एवं भा.द.स. की धारा 363क, 370 सहित अन्य प्रासंगिक अधिनियमों के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्यवाही करना।
- पुलिस द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के नियम 54 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करना।
- ऐसे प्रकरणों में संबंधित पुलिस थाने के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा जांच/अनुसंधान करना।
- ट्रैफिक पुलिसकर्मियों द्वारा चौराहों पर भीख मांगने वाले बच्चों की सूचना तत्काल चाइल्ड लाइन (1098) को देना।

- ट्रैफिक पुलिस चौराहों पर भिक्षावृत्ति की रोकथाम हेतु जन–जागरूकता पैदा करना तथा जन सामान्य को भीख देने से रोकना।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग –

- राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास अधिनियम, 2012 के तहत् भिखावृत्ति में लिप्त व्यक्ति/परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था करना।
- बाल कल्याण समिति द्वारा भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों के परिवारों की उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार ऐसे परिवारों को प्राथमिकता से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याकारी योजनाओं से जोड़ना।
- भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चे के विकलांग होने की स्थिति में उसे निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 एवं अन्य संबंधित योजनाओं के तहत् लाभान्वित करना।
- भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को प्राथमिकता से आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों से जोड़ना।
- भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों के परिवार के सदस्यों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने हेतु विशेष अभियान चलाना।
- भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों के परिवार के सदस्यों को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास/प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए संबंधितों से समन्वय स्थापित करना।

शिक्षा (प्रारम्भिक/माध्यमिक) विभाग –

- भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चे के अधिक संख्या में पाये जाने अथवा अन्य परिस्थितियों में भी ऐसे बच्चों के लिए विशेष आवासीय/गैर आवासीय विद्यालयों का संचालन करना।
- बच्चों को लिंग, धर्म अथवा अन्य कोई प्रमाण–पत्र की अड़चन के बिना उम्र के अनुसार विद्यालय में प्रवेश एवं ठहराव सुनिश्चित करना।

जिला प्रशासन –

- बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई के सहयोग से सतत् अभियान का संचालन एवं पर्यवेक्षण करना तथा इसमें विभिन्न विभागों/एजेंसियों का सहयोग लेना।
- बाल कल्याण समिति द्वारा भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों के परिवारों की उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार ऐसे परिवारों को प्राथमिकता से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याकारी योजनाओं से जोड़ना।
- भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों के परिवार के वयस्क सदस्यों को मनरेगा इत्यादि रोजगार कार्यक्रमों के तहत् प्राथमिकता से रोजगार उपलब्ध कराना।
- भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों एवं उनके परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के आवश्यक खाद्य सामग्री एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना।

- स्थानीय निकाय के माध्यम से भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों/परिवारों के पुनर्वास हेतु स्थाई/ अस्थाई आश्रय की व्यवस्था करना।
- बच्चे के बाल श्रमिक के रुप में भिक्षावृति का कार्य करते पाये जाने पर राज्य सरकार द्वारा बाल श्रम की रोकथाम हेतु जारी एस.ओ.पी. के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम में स्थानीय समुदाय, भामाशाहों एवं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पोंसब्लिटी के तहत् कॉर्पोरेट्स का सहयोग प्राप्त करना।
- बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम हेतु बेहतरीन कार्य करने वाली अधिकृत स्वयंसेवी संस्थाओं एवं व्यक्तियों को सम्मानित एवं प्रोत्साहित करना।

सभी सम्बन्धितों घटकों द्वारा बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम की कार्यवाही उपरोक्तानुसार की जायेगी। प्रत्येक जिले में बाल भिक्षावृत्ति की प्रभावी रोकथाम सुनिश्चित कराने के लिए प्रभारी, जिला बाल संरक्षण इकाई उत्तरदायी एवं जवाबदेह होगें। इसे प्राथमिकता से लागू किया जावे।

24/3/17

(अशोक जैन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांक एफ 32(02)(03) बाअवि/भिक्षावृत्ति कमेटी/ 67742-68288 जयपुर, दिनांक: 27/3/17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह/श्रम/विधि/महिला एवं बाल विकास विभाग/शिक्षा विभाग/अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. निजी सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी, बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राज. उच्च न्यायालय, राज. जयपुर।
8. निजि सचिव, सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज. जयपुर।
9. निजि सचिव, संयुक्त शासन सचिव (मानवाधिकार), गृह विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
10. निजी सचिव, पुलिस महानिदेशक, जेल विभाग राजस्थान, जयपुर।
11. निजी सचिव, निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
12. निजी सचिव, निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
13. आयुक्त, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा संकुल, जयपुर।
14. आयुक्त राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिक्षा संकुल, जयपुर।
15. समस्त पीठासीन अधिकारी, चिल्ड्रन कोर्ट/स्पेशल कोर्ट..।
16. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
17. समस्त जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण इकाई.......................।
18. समस्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्!..।
19. रजिस्ट्रार, बाल संदर्भ केन्द्र, राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (एच.सी.एम.रीपा), जयपुर।

20. उपनिदेशक / लेखाधिकारी, राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी, राजस्थान।
21. समस्त पुलिस अधीक्षक / उपायुक्त एवं प्रभारी, विशेष, किशोर पुलिस इकाई..।
22. समस्त प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट / सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड....................।
23. समस्त अध्यक्ष / सदस्य, बाल कल्याण समिति..।
24. समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग..............................।
25. समस्त उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग.....................................।
26. समस्त उप / सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई. ....।
27. समस्त अधीक्षक, राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी...........................।
28. समस्त अधीक्षक, राजकीय सम्प्रेक्षण एवं बाल गृह / बालिका गृह / शिशु गृह ....।
29. समस्त अधीक्षक / सचिव / प्रभारी, गैर राजकीय बाल गृह / बालिका गृह / विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी।
30. समन्वयक, चाईल्ड लाईन ....।
31. रक्षित पत्रावली।

24/3/2017

आयुक्त एवं शासन सचिव